भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3758

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

3758. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु बनाई गई योजनाओं और उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं पर सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकटों पर दी जाने वाली छूट को रोके जाने का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का कोई प्रावधान न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक नागरिक से विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए करों का ब्यौरा क्या है और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों, चाहे उनकी सेवाएं और व्यवसाय कुछ भी हों, के लिए कोई पेंशन योजना न होने के क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बीमा योजना शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी आवास योजना पर विचार किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क), (ख) और (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु एक व्यापक योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के सात घटक हैं। योजना के घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** - आईपीएसआरसी के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों (सीनियर सीएच), सतत देखभाल गृहों (सीसीएच), मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के मेन्टेनेंस के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना)-** भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जिनकी पारिवारिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) का उद्देश्य केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।

v. **वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं का प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं की भारी कमी और बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए, विभाग ने मांग को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल-** स्वस्थ और उपयोगी वृद्धावस्था की समस्याओं के समाधान हेतु देश भर में कई पहल की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य वृद्धजनों को ज्ञान के निर्माण में शामिल करना है ताकि वे समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकें।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** - इसका मुख्य उद्देश्य आम तौर पर सामने आ रही समस्याओं के लिए नए और नवोन्वेषी समाधानों को बढ़ावा देना है, वृद्धजनों

के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

पिछले दस वर्षों में एवीवाईएवाई योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **संलग्नक-I** में संलग्न है।

(ग): रेल मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ आवंटित करने का प्रावधान, रेलवे स्टेशनों पर व्हीलचेयर की सुविधा आदि शामिल हैं। भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस प्रकार, रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 45% की रियायत मिलती है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 55 रुपये होगी। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि से अधिक रियायतें कई श्रेणियों के लिए जारी है, जैसे कि दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियां, रोगियों की 11 श्रेणियां और छात्रों की 8 श्रेणियां। सुविधाओं का विस्तृत विवरण **संलग्नक-II में** दिया गया है।

(घ): जीएसटी के प्रावधान, दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के सदस्य शामिल हैं। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, न कि व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों सहित नागरिकों पर।

(च): वित्तीय सेवाएं विभाग अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसकी शुरुआत 09.05.2015 को सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर तरीके से गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसके लिए आयकरदाता 01.10.2022 से एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। एपीवाई के अंतर्गत अंशदाता को चुनी गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि का मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान करना आवश्यक है। अंशदाता को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, चुने गए अंशदान के आधार पर, 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अभिदाता की मृत्यु के बाद, उसका जीवनसाथी अभिदाता के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नामित व्यक्ति, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। योजना के अनुसार, अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ प्राप्त होगा।

पिछले 10 वर्षों के दौरान एपीवाई के अंतर्गत जारी धनराशि निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
जारी की गई धनराशि	173	36	167.72	155	338.69	273	203	725	481	465.05

(छ): सरकार ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के स्वास्थ्य कवरेज को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढ़ा दिया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।

(ज) और (झ): 'भूमि' और 'उपनिवेशीकरण' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार ये राज्य सरकारों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। तथापि, एक समान ढांचा उपलब्ध कराने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति गृहों के विकास और विनियमन के लिए आदर्श दिशानिर्देश केन्द्र सरकार द्वारा तैयार और प्रसारित किए गए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करना है, ताकि वे सेवानिवृत्ति गृहों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपने-अपने कानूनों और विनियमों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल कर सकें।

इसके अलावा, संसद द्वारा अधिनियमित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना है। रेरा के प्रावधान रिटायरमेंट होम्स पर पूरी तरह लागू होते हैं तथा उन्हें अन्य रियल एस्टेट परियोजनाओं के समान माना जाता है। यह वरिष्ठ नागरिकों और अन्य असुरक्षित निवासियों सहित घर खरीदारों के हितों की डेवलपर्स द्वारा किसी भी उल्लंघन या कदाचार से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, रेरा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान लागू मानदंडों और स्थानीय कानूनों का रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा कड़ाई से पालन करने का अधिदेश देता है।

संलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक, जिसका उत्तर 12.08.2025 को दिया जाना है

पिछले 10 वर्षों के दौरान एवीवाईएवाई योजना के अंतर्गत वर्षवार व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय (करोड़ में)
2015-16	27.58
2016-17	52.99
2017-18	45.97
2018-19	171.58
2019-20	135.2
2020-21	156.81
2021-22	162.85
2022-23	239.87
2023-24	210.48
2024-25	408.14

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (ग) में उल्लिखित संलग्नक, जिसका उत्तर 12.08.2025 को दिया जाना है</u>

रेल मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण:

i. कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को निचली बर्थ स्वचालित रूप से आवंटित करने का प्रावधान है, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो, जो बुकिंग के समय स्थान की उपलब्धता के अधीन होता है।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में तीन से चार निचली बर्थ (ट्रेन में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. सभी क्षेत्रीय रेलवे के उपनगरीय खंडों पर स्थानीय रेल सेवाओं की पूरी अवधि के लिए प्रथम और अंतिम द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 07 सीटें निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

iv. रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों, वृद्ध यात्रियों आदि के परिचारकों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है, जो उन्हें ट्रेन से लाने-ले जाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है।

v. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बैटरी चालित वाहन (बीओवी) उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और वाणिज्यिक प्रचार माध्यमों के माध्यम से 'निःशुल्क' और शुल्क-आधारित भी प्रदान की जाती है।

vi. गाड़ी के प्रस्थान के बाद, यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध हैं और यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति, जिसे दिव्यांग रियायत के तहत टिकट बुक किया गया है या कोई वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपरी/मध्य बर्थ आवंटित की गई है, खाली निचली बर्थ के आवंटन के लिए संपर्क करती है, तो ट्रेन में मौजूद टिकट जांच कर्मचारी को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करके उन्हें खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii. महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण संबंधी मांगों को निपटाने के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं, यदि प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से कम न हो। यदि महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों के किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों से निपटने के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

*****